



## बोडश विहार विधान सभा

### द्वितीय सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना विहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमाबली के नियम-104(3) के अनुरूप दिनांक-18.03.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विधान
1	2	3	4

1. श्री विजय शिंहर दूर्दे,  
स०वि०म०

श्री शक्तील अहमद खाँ,  
स०वि०म०

श्री संजय कुमार तिवारी  
टर्फ मुन्ना तिवारी,  
स०वि०म०

सिवान जिला के सिसवन प्रखंड का चौथे गुणन प्रसेत्र कृषि (सिसवन) की 28 एकड़ भूमि विगत कई वर्षों से अवैध कर्त्ता रहे हैं। इस मंदर्भ में भाजपोव उच्च न्यायालय ने विहार सरकार के प्रधम अपील नं-237/97 में उधय पक्षी के मुनने के बाद दिनांक-13.12.2010 को कल्पाधारियों के पक्ष में स्पेशल टैंड एक्वीजिशन सह सबजज, सीबान द्वारा एल.ए.आर. कोम नं-19/89 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है तथा कल्पाधारियों पर 10,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके बावजूद अतिक्रम करता जर्मीन को कृषि विभाग, सीधान अपने कानूनों में नहीं ले सका है।

अतः जनहित में कृषि विभाग की जर्मीन को अवैध कर्त्ता से मुक्त कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री हरपाल राजक,  
सूचितोऽस०

बिहार में किनरों की आवादी लगभग दो लाख है। केन्द्र समाज सरकार के द्वारा किनरों के उत्थान हेतु दिनांक 04.09.2014 को ग्रन्त कल्पाण सरकार से विस्तृत कार्य योजना मार्गी गयी थी, जो अब तक नहीं भेजी गयी है। उनके उत्थान एवं सामाजिक पहचान हेतु इलित समुदाय के लाह 0.3 हिस्सिल भूमि एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक ज्ञान, ज्ञानवास सुविधा, केरियर कॉन्सलिंग तथा राज्य सेवाओं में आरक्षण की सुविधा देने एवं शैक्षणिक संस्थाओं में भेदभाव रोकने हेतु निरानी समिति का गठन एवं सभी जिलों में किनरों के प्रति आम धारणा बदलने हेतु सामाजिक कॉन्सलिंग, आंगनबाड़ी केन्द्री तथा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

अतः किनर (ट्रान्सजेन्डर) समुदाय के स्वांगोण विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

राजीव कुमार

प्रधारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/16-

546

विंस०, पटना, दिनांक- 16 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मीडिया / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / सोकायुक्त के आप सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाराष्ट्र सभा, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कौरी विभाग तथा समाज कल्पाण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/16

(भूषण कुमार ज्ञा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/16-

546

विंस०, पटना, दिनांक- 16 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महादेव के आप सचिव एवं प्रशासन पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महादेव एवं प्रधारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/16

(भूषण कुमार ज्ञा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

16/3/16